## न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

## पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 02/2018

| प्रार्थी | | विप्रार्थी |
|---|---|---|
| भूराराम गोदारा<br>खाद्य सुरक्षा अधिकारी<br>कार्यालय मुख्य चिकित्सा<br>एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर | बनाम | ललित कुमार पुत्र भीखालाल<br>जाति जोशी निवासी बाड़मेर<br>जिला बाड़मेर (फर्म मैसर्स<br>पंचायत समिति केन्टीन बाड़मेर<br>जिला बाड़मेर का मालिक) |

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. विप्रार्थी उपस्थित।

निर्णय दिनांक 29.06.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.8.2017 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने निरीक्षण जरिये सरकारी वाहन मैसर्स पंचायत समिति केन्टीन पंचायत समिति कार्यालय के बाहर बाड़मेर प्रातः 11.45 बजे पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम पता पूछने पर अपना नाम ललित कुमार पुत्र भीखालाल जाति जोशी निवासी जोशियो का वास बाड़मेर जिला बाड़मेर (मैसर्स पंचायत समिति केन्टीन बाड़मेर का मालिक) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे फ्रीज के एक खण्ड में दूध (मिक्स) करीबन 50 लीटर भरा हुआ पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 70/– रूपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.805 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.805 जॉच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी. 805 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/683/एक्ट/2017/684 दिनांक 17.8.2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होकर अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया। प्रकरण में अवमानक स्तर का दूध (मिक्स) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.805 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई, जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम उपस्थित। विप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। विप्रार्थी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरी पंचायत समिति परिसर में चाय की दुकान है। चाय बनाने हेतु दूध में पानी मिला कर रखा जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इसी दूध का नमूना लिया गया था। मैं प्रकरण का निपटारा लोक अदालत की भावना से करवाना चाहता हूॅ। प्रकरण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए कम से कम जुर्माना लगाते हुए निस्तारित करायें।

4. सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 3.8.2017 को मैसर्स पंचायत समिति केन्टीन बाड़मेर का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे फ्रीज के एक खण्ड में करीबन 50 लीटर दूध (मिक्स) रखा हुआ पाया गया था। दूध (मिक्स) का नमूना पी.805 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किये जाने के योग्य है। इसलिये विप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

5. हमने दोनो पक्षों को सुना। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/683/एक्ट/2017/684 दिनांक 17.8.2017 का ध्यानपूर्वक अवलोकन

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

किया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 805, अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है, जिसके लिये विप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थी ललित कुमार द्वारा विक्रय किया जा रहा दूध, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक स्तर (Sub Standard) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत विप्रार्थी ललित कुमार पर रूपये 2000/—(अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 29.06.2018 से एक माह के अंदर—अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई )
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

निर्णय आज तारीख 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर